

productionised in the Ordnance Factories. The quality of the weapons and ammunition is certified by the Directorate General of Quality Assurance, before issue. There has been no report on issue of defective 5.56 mm Rifles/ammunition to troops fighting insurgency.

Ayurvedic Medical Treatment Facilities for Defence Employees

2608. SHRI MOOLCHAND MEENA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Ayurvedic medical treatment facilities are available at the hospitals run by Ministry of Defence for its employees; if so, the details of the places where such facilities are available; and

(b) whether the Ministry of Defence propose to provide such facilities for all of its employees in the hospitals run by it, if so, by when, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) The Ayurvedic dispensaries are functioning in Air Force Station, New Delhi and Naval Hospital, Cochin.

(b) Allopathic System of medicine is used in Military Hospitals under the Ministry of Defence to provide medical care to the Armed Forces personnel. Preliminary studies are being carried out to determine the extent upto which Ayurvedic system of treatment can be introduced in the Armed Forces Medical Services. These studies are at very initial stage and no firm views can be expressed at this stage.

छावनी क्षेत्रों में चलाये जा रहे समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2609. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत चलाये जाने वाली योजनाओं को छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए भी लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अहमदाबाद, भुज तथा जामनगर स्थित छावनियों के विकास पर कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और राजगार मंत्रालय प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने बताया है कि एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना छावनी क्षेत्रों में लागू नहीं की जाती है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रों को ध्यान में रखे बिना संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग के लिए संबंधित संसद सदस्य के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

(ग) छावनी बोर्ड सांविधिक निकाय हैं जो छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधानों के तहत चलाए जाते हैं। छावनी बोर्ड अपने संसाधनों के भीतर ही विकास योजनाएं चलाते हैं। जो छावनी बोर्ड स्वयं विकास योजनाएं चलाने की स्थिति में नहीं होते उन्हें केन्द्र सरकार विकास योजनाओं के लिए विशेष सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है। सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान छावनी के विकास के लिए स्वीकृत व वित्त पोषित योजना के ब्यौरें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(घ) गुजरात में केवल अहमदाबाद ही छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत घोषित छावनी है। गुजरात में भुज और जामनगर नगर क्षेत्रों को छावनियां घोषित नहीं किया गया है। चूंकि अहमदाबाद आत्मनिर्भर छावनी बोर्ड है। अतः रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान छावनी को कोई अनुदान नहीं दिया गया है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड को पिछले 3 वर्ष के दौरान सेवा प्रभारों के रूप में दिए गए धन और विकास कार्यों पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:—